गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971

क्रमांक 34 सन् 1971

(10 अगस्त, 1971)

[1] **कतिपय गर्भों के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों द्वारा समापन का और उससे संबद्ध या उसके आनुशंगिक विशयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम।**

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्श में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ –** (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाशाएं –** इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''संरक्षक'' से अवयस्क या (मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति) के भारीर की देख–रेख का प्रभारी व्यक्ति अभिप्रेत है।

(कक) ''चिकित्सा बोर्ड'' से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन गठित चिकित्सा बोर्ड अभिप्रेत है।

(ख) ''मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे मानसिक मंदता से भिन्न किसी मानसिक विकार के कारण उपचार की आव यकता है।

(ग) ''अवयस्क'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबन्धों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है।

(घ) ''रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी'' से ऐसा चिकित्सा–व्यवसायी अभिप्रेत है जो भारतीय चिकित्सा परिशद अधिनियम, 1956 (1956 या 102) की धारा 2 के खण्ड (ज) में यथा परिभाशित मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता रखता है तथा जिसका नाम राज्य चिकित्सक रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया है और जिसने स्त्रीरोग–विज्ञान और प्रसूति–विज्ञान में ऐसा अनुभव या प्र िाक्षण प्राप्त किया है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिश्ट किया जाए।

(ड) ''गर्भ का समापन'' में चिकित्सीय या भाल्प चिकित्सीय पद्धतियों का उपयोग करते हुए किसी गर्भावस्था को समाप्त करने की प्रक्रिया अभिप्रेत है।

3. **गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों द्वारा कब समाप्त किया जा सकता है–** (1) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45), में किसी बात के होते हुए भी, यदि कोई गर्भ किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार समाप्त किया जाए तो वह चिकित्सा–व्यवसायी उस संहिता के अधीन या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी अपराध का दोशी नहीं होगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, गर्भावस्था का समापन किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सरा व्यवसायी द्वारा वहां किया जा सकेगा–

(क) जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि ऐसे चिकित्सा व्यवसायी की या

(ख) ऐसी स्त्री की कोटि की द ा में, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित की जाए, जहां गर्भावस्था की समयावधि बीस सप्ताह से अधिक है किंतु चौबीस सप्ताह से अधिक नहीं है, यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायियों की,

सद्भावपूर्वक यह राय है कि –

(1) गर्भावस्था के जारी रहने से गर्भवती स्त्री के जीवन को जोखिम या उसके भाारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति अंतर्वलित होगी; या

(2) इस बात का सारवान जोखिम है कि यदि बालक जन्म लेता तो वह किसी गंभीर भाारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यता से ग्रसित होगा।

स्पश्टीकरण 1.– खंड (क) के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई गर्भावस्था किसी स्त्री या उसके भागीदार द्वारा बालकों की संख्या को सीमित करने या गर्भावस्था को रोकने के प्रयोजन के लिए उपयोग की गई किसी युक्ति या पद्धति की असफलता का परिणाम है, तो ऐसी गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप, गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति कारित करने की उपधारण करेगा।

स्पश्टीकरण 2.–खंड (क) और खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी गर्भावस्था का किसी गर्भवती स्त्री द्वारा बलात्संग द्वारा कारित किए जाने का अभिकथन किया जाता है, तो गर्भावस्था द्वारा कारित मनस्ताप गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य का गंभीर क्षति कारित करने की उपधारणा करेगा।

(2क) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के मानक वे होंगे, जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित किए जाएं।

---

[1] 1. अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2019, अनुसूची 5, द्वारा दिनांक 31–10–2019 से ''जम्मू–क मीर राज्य के सिवाय'' भाब्दों का लोप किया गया।

2. अधिनियम क्रमांक 64 सन् 2002 की धारा 2 द्वारा दिनांक 18–06–2003 से प्रतिस्थापित।

3. अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2021 की धारा 2 द्वारा दिनांक 24–9–2021 से अंतःस्थापित।

LEGAL SUCCESS LAW CLASSES

(2ख) गर्भावस्था की समयावधि से संबंधित उपधारा (2) के उपबंध किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा गर्भावस्था के समापन को वहां लागू नहीं होंगे, जहां किसी चिकित्सा बोर्ड द्वारा गर्भावस्था के ऐसे समापन को किसी सारवान भ्रण–अप्रसामान्यता के निदान द्वारा आव यक बना दिया गया है।

(2ग) यथास्थिति, प्रत्येक राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्र ाासन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसी भाक्ति और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन नियमों द्वारा विहित किए जाएं, चिकित्सा बोर्ड नामक एक बोर्ड का गठन करेगा।

(2घ) चिकित्सा बोर्ड निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात :–

(क) स्त्री रोग विज्ञानी;

(ख) बाल रोग विज्ञानी;

(ग) विकिरण विज्ञानी या पराश्रव्य विज्ञानी; और

(घ) ऐसी संख्या में अन्य सदस्य, जो यथास्थिति, राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्र ाासन द्वारा राजपत्र में अधिसूचित किए जाएं।

(3) इस बात का अवधारण करने में कि गर्भ के बने रहने से उपधारा (2) में यथावर्णित स्वास्थ्य की क्षति को जोखिम होगी या नहीं, गर्भवती स्त्री की वास्तविक या उचित रूप से पूर्वानुमेय परिस्थितियों का विचार किया जा सकेगा।

(4) (क) किसी ऐसी स्त्री का गर्भ, जिसने अठारह वर्श की आयु प्राप्त न की हो, अथवा जिसने अठारह वर्श की आयु प्राप्त कर ली हो किन्तु जो (मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति) हो, उसके संरक्षक की लिखित सम्मति से ही समाप्त किया जायेगा, अन्यथा नहीं।

(ख) खण्ड (क) में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई गर्भ गर्भवती स्त्री की सम्मति से ही समाप्त किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

4. **वह स्थान जहां गर्भ समाप्त किया जा सकेगा –** इस अधिनियम के अनुसार किसी गर्भ का समापन निम्नलिखित से भिन्न किसी स्थान पर नहीं किया जाएगा,–

(क) सरकार द्वारा स्थापित या पोशित अस्पताल; अथवा

(ख) कोई स्थान, जो तत्समय इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सरकार या उस सरकार द्वारा गठित किसी ऐसी जिला स्तर समिति द्वारा अनुमोदित हो जहाँ उक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में मुख्य चिकित्सा अधिकारी या जिला स्वास्थ्य अधिकारी हो :

परंतु जिला स्तर समिति में कम से कम तीन और अधिक से अधिक अध्यक्ष सहित पांच सदस्य, जैसा सरकार समय–समयपर विनिर्दिश्ट करे, होंगे।

5. धारा 3 और 4 कब लागू न होंगी.– (1) धारा 4 के उपबन्ध और धारा 3 की उपधारा (2) के उपबन्धों का उतना भाग, जितना गर्भ की अवधि और दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों की राय के बारे में है, गर्भ के रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा उस द ाा में समापन को लागू नहीं होगा जब उसने सद्भावपूर्वक यह राय कायम की हो कि उस गर्भ का समापन गर्भवती स्त्री के जीवन को बचाने के लिए तुरन्त आव यक है।

(2) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा गर्भ का समापन, जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी नहीं है, उस संहिता के अधीन ऐसा अपराध होगा, जो कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्श से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्श तक की हो सकेगी, दंडनीय अपराध होगा और वह संहिता इस सीमा तक उपांतरित हो जाएगी।

(3) जो कोई, धारा 4 में उल्लिखित से भिन्न स्थान में किसी गर्भ का समापन करेगा वह कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्श से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्श तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे स्थान का स्वामी है, जो धारा 4 के खंड (ख) के अधीन अनुमोदित नहीं है, कठोर कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्श से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्श की हो सकेगी, दंडनीय होगा।

स्पश्टीकरण 1. – इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थान के संबंध में, ''स्वामी'' पद से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी ऐसे अस्पताल या स्थान का, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, जहां इस धारा के अधीन गर्भ का समापन किया जा सकेगा, प्र ाासनिक प्रधान है या अन्यथा उसके कार्यकरण या अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है।

स्पश्टीकरण 2. – इस धारा के प्रयोजनों के लिए धारा 2 के खंड (घ) के उपबंधों का उतना भाग जितना रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा स्त्री–रोग विज्ञान और प्रसूति–विज्ञान का अनुभव या प्रि ाक्षण रखने के संबंध में है, लागू नहीं होगा।

LEGAL SUCCESS LAW CLASSES

5क. स्त्री का निजता का संरक्षण – (1) कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी किसी स्त्री, जिसकी गर्भावस्था का इस अधिनियम के अधीन समापन किया गया है, के नाम और अन्य वि ाश्टियों का सिवाय तत्समय प्रवत्त किसी विधि द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, प्रकटन नहीं करेगा।[2]

(2) जो कोई उपधारा (1) के उपबन्धों को उल्लंघन करेगा, कारावास से, जो एक वर्श तक का हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा।

6. **नियम बनाने की भाक्ति.–** (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) वि ाश्टतया और पूर्वगामी भाक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सब विशयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात्:–

(क) वह अनुभव या प्रि ाक्षण या दोनों जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी को उस द ाा में प्राप्त करना होगा जब उसका आ ाय कोई गर्भ इस अधिनियम के अधीन समाप्त करने का हो।

(कक) धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन स्त्री की कोटि;

(कख) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी, जिनकी धारा 3 की उपधारा (2क) के अधीन विभिन्न गर्भावधियों के गर्भ के समापन के लिए राय की अपेक्षा है, के मानक;

(कग) धारा 3 की उपधारा (2ग) के अधीन चिकित्सा बोर्ड की भाक्तियां और कृत्य।

(ख) ऐसे अन्य विशय जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किए जाने के लिए आपेक्षित हो या किए जा सकते हों।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के प चात् यथा ाक्य भीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, उस समय जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की कालावधि के लिए, जो एक सत्र में या दो क्रमवर्ती सत्रों में समाविश्ट हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो, या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई उपान्तर करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्प चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई भी प्रभाव न होगा, किन्तु इस प्रकार कि ऐसा कोई उपान्तर या बातिलकरण उस नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि–मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

7. **विनियम बनाने की भाक्ति. –** (1) राज्य सरकार, विनियमों द्वारा, –

(क) धारा 3 की उपधारा (2) में यथानिर्दिश्ट राय से सम्बद्ध रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी या चिकित्सा–व्यवसायियों द्वारा ऐसे प्रारूप में और ऐसे समय पर, जो उन विनियमों में विनिर्दिश्ट हो, प्रमाणित किए जाने की तथा ऐसे प्रमाणपत्रों के परिरक्षण या व्ययन की अपेक्षा कर सकेगी;

---

[2] अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2021 की धारा 3 द्वारा दिनांक 24–9–2021 से प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापन से पूर्व उपधारा (2) निम्नवत थी :–

'' (2) उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए यह है कि–

(क) जहां गर्भ 12 सप्ताह से अधिक का न हो, वहां यदि ऐसे चिकित्सा–व्यवसायी ने, अथवा

(ख) जहां गर्भ बारह सप्ताह से अधिक का हो किन्तु बीस सप्ताह से अधिक का न हो, वहां यदि दो से अन्यून रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायियों ने, सद्भावपूर्वक यह राय कायम की हो कि–

(1) गर्भ के बने रहने से गर्भवती स्त्री का जीवन जोखिम में पड़ेगा अथवा उसके भाारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति की जोखिम होगी; अथवा

(2) इस बात की पर्याप्त जोखिम है कि यदि बच्चा पैदा हुआ तो वह ऐसी भाारीरिक या मानसिक अप्रसामान्यताओं से पीड़ित होगा कि वह गंभीर रूप से विकलांग हो, तो वह गर्भ रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी द्वारा समाप्त किया जा सकेगा।

स्पश्टीकरण 1. – जहां किसी गर्भ के बारे में गर्भवती स्त्री द्वारा यह अभिकथन किया जाए कि वह बलात्संग द्वारा हुआ तो ऐसे गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप के बारे में यह उपधारणा की जाएगी कि वह गर्भवती स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर क्षति है।

स्पश्टीकरण 2. – जहां किसी विवाहिता स्त्री या उसके पति द्वारा बच्चों की संख्या सीमित रखने के प्रयोजन से उपयोग में लाई गई किसी प्रयुक्ति या व्यवस्था की असफलता के फलस्वरूप कोई गर्भ हो जाए वहां ऐसे अवांछित गर्भ के कारण होने वाले मनस्ताप के बारे में यह उपधारणा की जा सकेगी कि वह गर्भवत स्त्री के मानसिक स्वास्थ्य को गम्भीर क्षति है।''

1. अधिनियम क्रमांक 64 सन् 2002 की धारा 3 द्वारा दिनांक 18–6–2003 से प्रतिस्थापित।
2. अधिनियम क्रमांक 64 सन् 2002 की धारा 4 द्वारा दिनांक 18–6–2003 से प्रतिस्थापित।
3. अधिनियम क्रमांक 64 सन् 2002 की धारा 5 द्वारा दिनांक 18–6–2003 से प्रतिस्थापित।
4. अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2021 की धारा 4 द्वारा दिनांक 24–9–2021 से प्रतिस्थापित।
5. अधिनियम क्रमांक 8 सन् 2021 की धारा 5 द्वारा दिनांक 24–9–2021 से प्रतिस्थापित।

LEGAL SUCCESS LAW CLASSES

(ख) किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी से, जो गर्भ समाप्त करे, अपेक्षा कर सकेगी कि वह ऐसे समापन की प्रज्ञापन तथा उस समापन से संबंधित अन्य ऐसी जानकारी, जैसी विनियमों में विनिर्दिश्ट की जाए, दे;

(ग) ऐसे विनियमों के अनुसरण में दी गई प्रज्ञापनाएं या जानकारी के, उन व्यक्तियों को तथा उन प्रयोजनों के लिए, जो ऐसे विनियमों में विनिर्दिश्ट किए जाएं, प्रकट किए जाने के सिवाय प्रकटीकरण का प्रतिशेध कर सकेगी।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) के आधार पर बनाए गए विनियमों के अनुसरण में दी गई प्रज्ञापना तथा जानकारी राज्य के मुख्य चिकित्सक अधिकारी को दी जाएगी।

(2क) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम बनाए जाने के प चात् यथा ीघ्र राज्य विधान–मंडल के समक्ष रखा जाएगा।

(3) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन बनाए गए किसी विनियम का जानबूझकर उल्लंघन करेगा या उसकी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में जानबूझकर असफल रहेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

8. सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण.– कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आ ायित किसी बात से हुए या होने संभाव्य किसी नुकसान के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा–व्यवसायी के विरूद्ध नहीं होगी।

स्त्री अि ाश्ट रूपण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1986

क्रमांक 60 सन् 1986

(23 दिसम्बर, 1986)

विज्ञापनों के माध्यम से या प्रका ानों, लेखों, रंगचित्रों, आकृतियों में या किसी अन्य रीति से स्त्रियों के अि ाश्ट रूपण का प्रतिशेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुशंगिक विशयों के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्श में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.– (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्त्री अि ाश्ट रूपण (प्रतिशेध) अधिनियम, 1986 है।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

   (3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना, द्वारा नियत करे।

2. परिभाशाएँ.– इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

   (क) ''विज्ञापन'' के अन्तर्गत कोई सूचना, परिपत्र, लेबल, रैपर या अन्य दस्तावेज है और इसके अन्तर्गत प्रका ा, ध्वनि, धुआं या गैस के माध्यम से किया गया कोई दृ य रूपण भी है।

   (ख) ''विज्ञापन'' के अंतर्गत नमूने के तौर पर, चाहे मुफ्त या अन्यथा, वितरण भी है।

   (ग) ''स्त्री अि ाश्ट रूपण'' से किसी स्त्री की आकृति, उसके रूप या भारीर या उसके किसी अंग का, किसी ऐसी रीति से ऐसे रूप में चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अि ाश्ट हो, अथवा जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निन्दनीय हो, अथवा जिसके, लोक नौतिकता या नैतिक आधार के विकृत, भ्रश्ट या क्षति होने की संभावना है।

   (घ) ''लेबल'' से कोई लिखित चिन्हित, स्टाम्पित, मुद्रित या चित्रित विशय–वस्तु अभिप्रेत है जो किसी पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है।

   (ड) ''पैकेज'' के अंतर्गत कोई बाक्स, कार्टन, टिन या अन्य मात्र भी है।

   (च) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

3. स्त्री अि ाश्ट रूपण अंतर्विश्ट करने वाले विज्ञापनों का प्रतिशेध.– कोई व्यक्ति, कोई ऐसा विज्ञापन जिसमें किसी भी रूप में स्त्रियों का अि ाश्ट रूपण अंतर्विश्ट है, प्रकाि ात नहीं करेगा या प्रकाि ात नही करवाएगा अथवा उसके प्रका ान या प्रद िन की व्यवस्था नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा।

4. स्त्री अि ाश्ट रूपण अंतर्विश्ट करने वाली पुस्तकों, पुस्तिकाओं, आदि के प्रका ान या डाक द्वारा भेजने का प्रतिशेध.– कोई व्यक्ति, कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज–पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखा–चित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति का, जिसमें किसी रूप में स्त्रियों का अि ाश्ट रूपण अंतर्विश्ट है, उत्पादन नहीं करेगा या उत्पादन नहीं करवाएगा, विक्रय नहीं करेगा, उसको भाड़े पर नहीं देगा, वितरित नहीं करेगा, परिचालित नहीं करेगा या डाक द्वारा नहीं भेजेगा :

   परन्तु इस धारा की कोई बात, –

   (क) किसी ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज–पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति को लागू नहीं होगी–

LEGAL SUCCESS LAW CLASSES

(1) जिसका प्रका ान लोक कल्याण के लिए होने के कारण इस आधार पर न्यायोचित साबित हो जाता है कि ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज–पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधी अन्य उद्दे यों के हित में है; या

(2) जो सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए रखी या उपयोग में लाई जाती है;

(ख) किसी ऐसे रूपण को लागू नहीं होगी, जो –

(1) प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल और अव ोश अधिनियम, 1958 (1958 का 24) के अर्थ में किसी प्राचीन संस्मारक पर या उसमें; या

(2) किसी मंदिर पर या उसमें, या मूर्तियों के प्रवहण के उपयोग में लाए जाने वाले या किसी धार्मिक प्रयोजन के लिए रखे या उपयोग में लाए जाने वाले किसी रथ पर,

तक्षित,उत्कीर्ण, रंगचित्र या अन्यथा रूपित है।

(ग) किसी ऐसी फिल्म को लागू नहीं होगी जिसकी बाबत चलचित्र अधिनियम, 1952 (1952 का 37) के भाग 2 के उपबन्ध लागू होंगे।

5. प्रवे ा करने और तला ाी लेने की भाक्तियां.– (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई राजपत्रित अधिकारी, उस क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर जिसके लिए वह इस प्रकार प्राधिकृत हैं,–

(क) किसी ऐसे स्थान में, जिसमें उसके [3]पास यह वि वास करने का कारण है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, ऐसे सहायकों के साथ, यदि कोई हों, जिन्हें वह आव यक समझे, सभी उचित समयों पर, प्रवे ा कर सकेगा और उसकी तला ाी ले सकेगा।

(ख) कोई ऐसा विज्ञापन अथवा कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका, कागज–पत्र, स्लाइड, फिल्म, लेख, रेखाचित्र, रंगचित्र, फोटोचित्र, रूपण या आकृति अभिगृहीत कर सकेगा, जिसके बारे में उसके पास यह वि वास करने का कारण है कि वह इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करती है।

(ग) खंड (क) में उल्लिखित किसी स्थान में पाए गए किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज या अन्य किसी भौतिक पदार्थ की परीक्षा कर सकेगा और यदि उसके पास यह वि वास करने का कारण है कि उससे इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य प्राप्त हो सकता है तो उसे अभिगृहीत कर सकेगा।

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई प्रवे ा किसी प्राइवेट निवास–गृह में वारण्ट के बिना नहीं किया जाएगा :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन अभिग्रहण की भाक्ति का प्रयोग, किसी ऐसे दस्तावेज, वस्तु या चीज के लिए, जिसमें ऐसा कोई विज्ञापन अंतर्विश्ट है, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज के अन्तर्वस्तु सहित यदि कोई हो, किया जा सकेगा, यदि वह विज्ञापन समुद्भूत होने के कारण या अन्यथा, उस दस्तावेज, वस्तु या चीज से, उसकी समग्रता, उपयोगिता या विक्रय मूल्य पर प्रभाव डाले बिना, अलग नहीं किया जा सकता है।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबन्ध इस अधिनियम के अधीन किसी तला ाी या अभिग्रहण को, जहाँ तक हो सके, वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उक्त संहिता की धारा 94 के अधीन जारी किए गए वारण्ट के प्राधिकार के अधीन ली गई किसी तला ाी या किए गए किसी अभिग्रहण को लागू होते हैं।

(3) जहाँ कोई व्यक्ति उपधारा (1) के खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन किसी वस्तु का अभिग्रहण करता है वहाँ वह यथा ााक्य भीघ्र, निकटतम मजिस्ट्रेट को उसकी इत्तिला देगा और उस वस्तु की अभिरक्षा के संबंध में उससे आदे ा प्राप्त करेगा।

6. **भाास्ति.–** कोई व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, प्रथम दोशसिद्धि पर दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्श तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दो हजार रूपए तक का हो सकेगा तथा द्वितीय या प चात्वर्ती दोशसिद्धि की द ाा में, कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु जो पाँच वर्श तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक लाख रूपये तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

7. **कम्पनियों द्वारा अपराध.–** (1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी ऐसे अपराध के दोशी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

---

[3] 1. अधिनियम क्रमांक 34 सन् 2019, अनुसूची 5, द्वारा दिनांक 31–10–20196 से ''जम्मू–क मीर राज्य के सिवाय'' भाब्दों का लोप किया गया।
2 अक्टूबर 1987, देखिए अधिसूचना क्र. सा. का. नि. 821(अ) दिनांक 25–9–1987

LEGAL SUCCESS LAW CLASSES

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदे ाक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस उपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहाँ ऐसे निदे ाक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी और तद्नुसार उसे दंडित किया जाएगा।

स्पश्टीकरण– इस धारा के प्रयोजनों के लिए –

(क) ''कम्पनी'' से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत फर्म या व्यश्टियों का अन्य संगम भी है; तथा

(ख) किसी फर्म के संबंध में, ''निदे ाक'' से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

8. अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना.– (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध जमानतीय होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध संज्ञेय होगा।

9. **सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.–** इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आ ायित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी।

10. **नियम बनाने की भाक्ति.–** (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) वि ाश्टतया और पूर्वगामी भाक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विशयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) वह रीति जिससे विज्ञापनों या अन्य वस्तुओं का अभिग्रहण किया जाएगा और वह रीति जिससे अभिग्रहण–सूची तैयार की जाएगी और उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से कोई विज्ञापन या अन्य वस्तु अभिगृहीत की गई है;

(ख) कोई अन्य विशय जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के प चात् यथा ाीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्प चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जान चाहिए तो तत्प चात् वह निश्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निश्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

LEGAL SUCCESS LAW CLASSES